मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक---693---/1434/1(3)82 भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 1982.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग।

विषय:- राजपत्रित पदों पर तदर्थ पदोन्नति-सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के वर्तमान निर्देशों दिनांक 31 अगस्त, 1971, 10जून, 1976, 27 अगस्त, 1980 एवं दिनांक 29 अप्रैल 1982 के तारतम्य में अब यह निर्णय लिया गया है कि नियमानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर यदि विभाग अतिआवश्यक समझता है और लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के बिना चयन सूची में से तदर्थ पदोन्नति ~~क~~ कर सकता है। इस प्रकार की पदोन्नति के आदेशों में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि पदोन्नति केवल तदर्थ है और इस अवधि का लाभ वरिष्ठता आदि के लिए नहीं मिलेगा तथा लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने की दशा में तदर्थ पदोन्नति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी। उक्त निर्देश केवल विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित सूची के आधार पर, लोक सेवा आयोग के अनुमोदन की प्रत्याशा वाले प्रकरणों में ही लागू होंगे ।

2/ तदर्थ पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा उनके ज्ञापन क्र0 1337/600/82/नियम-1/चार दिनांक 11 अक्टूबर 1982 में दिये गये निर्देश लागू होंगे ।

3/ विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची के अतिरिक्त तदर्थ पदोन्नतियों के लिये इस विभाग के पूर्व निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाहीकरनी होगी।

(के0एन0श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

...2